सही पन्ना प्रतिलिपि आवश्यक
पत्र सं. 30012 में काम आया
दिनांक 25.9.25

प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
प्रतिलिपि विभाग
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
Certified Copy of Order Dated 25/09/2025

16325
4/5/25

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JAIPUR BENCH, JAIPUR
***

S.B. Cr. Bail Application No. 5943/2025

Ajay Tanwar s/o Bhawanisingh, r/o Mawanda Kalan, Police Station Neem ka Thana, District Sikar at present r/o A-8/[illegible]402, BDI Ambram Tapukda, Police Station Tapukda District Khairthal Tijara

...Accused Petitioner

Versus

State of Rajasthan through PP

...Respondent

S.B. Criminal Misc. Bail Application under Section 482 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in FIR No.268 dated 22.7.2024 registered with Police Station Tapukda District Alwar u/s 376,384 IPC (In the Order section 376, 384, 354Gha, 504, 506 IPC) and against the Order dated 23.4.2025 passed by Santosh Kumar, RJS (District Judge Cadre) Additional

सही-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

2

Session Judge No.1, Tijara District Alwar in Criminal Misc. Bail Application No. 37/2025 (CIS-72/2025) titled Ajay Tanwar Versus State of Rajasthan by which anticipatory bail application filed by the petitioner was rejected

To

सत्य-प्रतिलिपि

अनुभागीय अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5943/2025

Ajay Tanwar S/o Bhawanisingh, R/o Mawanda Kalan, Police Station Neem Ka Thana, District Sikar At Present R/o A-8/402, Bdi Ambram Tapukda, Police Station Tapukda, District Khairthal Tijara.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Bharat Yadav

For Respondent(s) : Mr. Amit Punia, PP
Ms. Vandana Chauhan
& Mr. Dushyant Singh Naruka for complainant

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

Pronounced on **25.09.2025**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना–टपूकडा जिला भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 376, 384, 354–घ, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अभियोक्त्री एक विवाहिता महिला है और प्रार्थी–अभियुक्त भी एक विवाहित व्यक्ति है। दोनों पक्षकार एक ही सोसायटी में निवास करते है। उनका तर्क है कि अभियोक्त्री ने दुष्कर्म की अभिकथित घटना दिनांक 29.6.2024 व 30.6.2024 की रात्रि 12.30 की बताई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.7.2024 को लगभग 22 दिन के विलम्ब से दर्ज करवाई गई है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनका तर्क है कि परिवादिया ने जिस समय

दुष्कर्म की घटना होना बताया है, वास्तव में प्रार्थी उस समय वहां से 50 कि.मी. की दूरी पर था, जहां वह अपनी गाडी से टोल नाके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका तर्क है कि तथाकथित पिस्तौल लगाकर दुष्कर्म की घटना के बाद कई दिन तक अभियोक्त्री ने उसका डेबिट कार्ड उपयोग में लिया तथा विभिन्न दुकानों से, मॉल में व गुडगांव में उसने खरीदारी भी की, जिसकी वीडियो फुटेज भी है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोक्त्री स्वयं अभियुक्त व अपने पति के साथ अपनी रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। यदि उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता या उसे जान से मारने की धमकी दी जाती तो वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त की पत्नी और अभियोक्त्री के मध्य व्हाट्स–एप पर चैटिंग भी होती थी, जिससे उसका अपराध में संलिप्त होना दर्शित नहीं होता है। उनके द्वारा इस व्हाट्सएप की चैटिंग भी प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि इस मामले में पूर्व में जिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया था, उसने मामला अदम वकू झूंठ पाया था। उसके पश्चात् प्रकरण में दूसरे अनुसंधान अधिकारी द्वारा फिर से अनुसंधान किया गया, जिसने घटना का समय ही बदल दिया। उनका तर्क है कि बाद में अभियुक्त के मित्र छगनलाल व अशोक के बयानों से यह तथ्य प्रमाणित होना बताया गया है कि घटना के समय अभियुक्त अपनी सोसायटी में गया था। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति नीरव के बयानों से भी उसका सोसायटी में आना बताया गया है। उनका तर्क है कि उक्त सभी गवाहों के बयान मनमाने ढंग से लिखे गये है, जिसके सम्बन्ध में उनकी ओर से दिनांक 14.02.2025 को शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। उनका तर्क है कि साक्षी नीरव से उसकी पुरानी रंजिश भी है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। वह अनुसंधान में भाग लेकर जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाये। उनकी ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किया गया है:–

अमोल भगवान नेहुल–बनाम–महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य
आपराधिक अपील संख्या 2835/2025

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री से प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ पिस्तौल लगाकर दुष्कर्म किया जाना तथा उसे जान से मारने की धमकी देना स्पष्टतः प्रमाणित हो रहा है। उनका तर्क है कि वास्तव में दिनांक 29.6.2024 को अभियुक्त, छगनलाल, अशोक व सुनील सोनी द्वारा अभियुक्त के जन्म दिन पर गुडगांव में पार्टी की गई थी, जिसके बाद अभियुक्त अजय तंवर आई–10 गाडी नम्बर एचआर 26 बी एच 6998 से वापिस आया तथा अजय तंवर की गाडी स्कार्पियो अशोक द्वारा ले जाई गई। उनका यह भी तर्क है कि एक अन्य व्यक्ति नीरव के कथनों द्वारा घटना की रात को लाल रंग की आई–10 से अजय तंवर का सोसायटी में आना और अजय राठौड (अभियोक्त्री के पति) के फ्लैट की ओर जाने की पुष्टि होती है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने परिवादिया को इस मामले में की गई शिकायत को वापिस लेने के लिए दबाव डाला और धमकी दी है। उसके विरूद्ध पूर्व में दो अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। उसके फरार होने पर उसके विरूद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट भी जारी हुआ है। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का भी तर्क है कि अभियोक्त्री ने धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता व धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के कथनों में घटना की रात्रि को अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाये।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने पीड़िता के साथ बंदूक की नोक पर दिनांक 29.06.2024 व 30.06.2024 की मध्य रात्रि 12.30 पीएम पर दुष्कर्म किया। पीड़िता 29 वर्ष की विवाहित महिला है जिसके 9 एवं 6 वर्ष के दो बच्चे भी हैं। वह अभियुक्त से पूर्व से परिचित थी एवं अभियुक्त भी विवाहित व्यक्ति है। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करना पीड़िता ने बताया है परंतु घटना के बाद वह जैनेसियस मॉल,

पिज्जा गैलेरिया गुरूग्राम आदि कई जगहों पर अभियुक्त के साथ खरीददारी के लिए गई है, खरीददारी हेतु जाने तथा खरीददारी के वीडियो हैं, जिनमें उसका प्रफुल्लित होना दिखाई दिया है। इस तथाकथित घटना के पश्चात् ही अभियोक्त्री द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के एटीएम कम डेबिट कार्ड से अपने लिए खरीददारी करना भी अभिलेख से स्पष्ट हो रहा है। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक 29.06.2024 के लगभग 22–23 दिन बाद दिनांक 22.07.2024 को दर्ज करवाई गई है। अनुसंधान के दौरान घटना के समय के कोई कपड़े आदि पुलिस को नहीं दिए हैं, न ही पीड़िता द्वारा कोई मेडिकल करवाया गया है। पीड़िता घटना के बाद अपने पति के पास भी रही है एवं उसके भी 10 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में भाग ले लिया है तथा उसका मेडिकल भी हो गया है। अब उससे अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Interrogation) की कोई आवश्यकता दर्शित नहीं हो रही है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी **अजय तंवर पुत्र भवानी सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस मामले में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

Sd

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /121